मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 30, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के बुधनी तहसील अन्तर्गत स्पिनिंग मिल निर्माण हेतु सिंचित भूमि का अधिग्रहण करने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह, पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में नियमों की अनदेखी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनसम्पर्क मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामनिवास रावत, ब्रजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण न होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री श्रीकांत दुबे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, पन्ना टाईगर रिजर्व के वन कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम लिलवारी रौरा कंजोरी टोड़ा स्थित सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-151, नरेला के सदस्य, श्री विश्वास सारंग को विधान सभा के जुलाई, 2011 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम बराठिया से कल्लोन के बीच पुल निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम भरजुना के शासकीय हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम देवरी के शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम कोठी में महाविद्यालय खोले जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मुड़ैनी से रोगटा तक मार्ग एवं पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम देवना से बजरंगगढ़ तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम जीरोन से सिमरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम जेरोन की सड़कें एवं नालियों के निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम तातारपुरा से अनुसूचित जाति बस्ती तक सड़कें एवं नालियों का निर्माण किये जाने, तथा
(च) ग्राम डिरगुवा की सड़कों के निर्माण किये जाने,

-2-

(3) डॉ. श्रीमती विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के -
(क) बीना नगर के मार्गों का पुनर्निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम बीरमखेड़ी के मार्ग निर्माण किये जाने,
(ग) बीना शहर में स्थापित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम महापुरुष के नाम से किये जाने,
(घ) बीना शहर में स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 का नाम महापुरुष के नाम से किये जाने,तथा
(ङ) ग्राम करौदा, बिहरना आदि में पेय जल व्यवस्था किये जाने,

(4) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम खरपटा से धनिगवां के बीच पुल निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम हरदोली आदि ग्रामों में ट्यूबवेल खनन किये जाने,
(ग) ग्राम बरेहीकला, भूमन आदि ग्रामों के हाईस्कूलों के उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम सेमरिया के वार्ड क्रमांक-15 में विद्युत व्यवस्था किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम कोलोरा के हैण्डपंप की मरम्मत कराये जाने,

(5) श्री राव राजकुमार सिंह यादव (महुअन), सदस्य, अशोक नगर जिले के -
(क) तहसील ईशागढ़ में उप कोषालय खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम नईसराय को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(6) श्री रोडमल राठौर, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना नगर से बरखेड़ा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(7) श्री जेवियर मेड़ा, सदस्य, भोपाल शहर के तुलसी नगर के शासकीय आवासों की मरम्मत कराये जाने,तथा

(8) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम नारायणधारा की प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री , मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा (3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011)पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (5) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2011